न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता बिरौल दरभंगा

उपेन्द्र पंडित

वनाम

महेश सहनी

वाद संख्या–03/2013–14

वाद का प्रकार–सीमांकन

आदेश

08.10.2013 यह वाद बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत प्रश्नगत भूमि के सीमांकन के लिए दायर किया गया है।

प्रश्नगत भूमि का विवरण

मौजा अम्बा थाना व अंचल बिरौल जिला दरभंगा।

खाता	खेसरा	रकवा	चौहददी
		11 कटठा 17	
264 पु0	1497 पु0	धुर	उ0–झील
119 नया	2416/2442		द0–रामचन्द्र यादव
			पु0–झील
			प0–झील

प्रथम पक्ष का कहना है कि वाद की भूमि के भूस्वामी श्रीमति तारा देवी पति लक्ष्मी नारायण राय थी जिनसे वादी के पिता जागेश्वर पंडित ने बजरिये निबंधित केवाला संख्या 82, दिनांक 03.01.1973 द्वारा खरीद किये एवं दखल कब्जा में आये पिता के बाद वादी शांतिपुर्ण दखल कब्जा वो उपभोग वो उपयोग में चला आ रहा है। वाद की भूमि का वादी के पिता ने बिहार सरकार के अंचल अमला से दाखिल खारिज कराकर राजस्व की अदायगी कर अद्यतन राजस्व रसीद जमाबंदी नम्बर 278 से प्राप्त करते आ रहे है। प्रश्नगत भूमि को बिहार सरकार के द्वारा सिंलिंग वाद भूतपुर्व भूस्वामी पर गि0 केश नं0 41/76–77 चलाई गई थी जिसमें वादी के पिता ने अपर समाहर्ता भूहदबन्दी दरभंगा के न्यायालय में

धारा 15 (3) बी0 एल0 आर0 एक्ट के तहत आपत्ति दायर किया जिसमें न्यायालय द्वारा सुनकर दिनांक 01.04.1980 को आपत्ति आवेदन को स्वीकार करते हुए अंतिम अधिसुचना से प्रश्नगत एवं अन्य को निकाल दिया जाय का आदेश पारित किया गया एवं उक्त भूमि को मुक्त कर दिया गया। हाल सर्वे के दरम्यान सर्वे अमला ने वादी के पिता जागेश्वर पंडित का दखल कब्जा वो सुसंगत कागजात पाया तदनुसार प्रश्नगत भूमि का हाल खतियान उनके नाम से बना एवं प्रकाशन किया अर्थात प्रश्नगत भूमि वादी का रैयती भूमि है हाल खतियान प्राप्त है जबकि विपक्षी को प्रश्नगत भूमि से कोई मतलब वो सरोकार नही था और न है।

प्रस्तुत वाद में दोनो पक्षो को विधिवत नोटिस दिया गया एवं दोनो पक्ष उपस्थित भी हुए परंतु प्रतिवादी द्वारा कोई उत्तर दाखिल नही किया गया। फलस्वरूप वाद में बहुत समय बीत जाने के बाद एक पक्षीय सुनवाई की गयी। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना एवं उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों का अवलोकन किया। प्रथम पक्ष द्वारा प्रश्नगत भूमि के सीमांकन की मॉग की गई है परंतु वादी द्वारा दिये गये प्रश्नगत भूमि के चौहददी में किसी दिशा से प्रतिवादी का नाम नही है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी वादी के चौहददीदार नही है अतः वादी एवं प्रतिवादी के बीच सीमा विवाद होना सही प्रतीत होता है। इस प्रकार सीमाकंन की मॉग को खारिज किया जाता है। वादी द्वारा प्रश्नगत भूमि के तीन तरफ बिहार सरकार की झील होने की बात की गई है एवं प्रतिवादीगण पर झील की सीमा को तोड़कर गड्ढ़ा खोद कर मिलाने का आरोप है। अतः अंचलाधिकारी बिरौल को निर्देश दिया जाता है कि स्थलीय जॉच करे एवं बिहार सरकार की झील पर अगर किसी के द्वारा सीमा तोड़कर सरकारी जमीन पर अवैध कार्य किया जा रहा है तो उस पर नियमानुकूल तुरंत आवश्यक कारवाई करें।

उपर्युक्त निष्कर्ष के साथ इस वाद को निस्तारित किया जाता है उक्त आदेश से संबंधित पक्षो के विज्ञ अधिवक्ताओं को अवगत करा दे एवं एक प्रति अंचलाधिकारी बिरौल को उपलब्ध कराये साथ ही आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चिपका दें।

लेखापति एवं संशोधित

08.10.13

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बिरौल

08.10.13

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बिरौल